

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-12
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम

†*12. श्री अ. मनि:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम के कार्यान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो इसे कब तक हासिल किया जाएगा;

(ख) क्या सरकार देशभर के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में कितने स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं;

(घ) इस प्रयोजन के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विद्यालयों के सभी क्लासरूम में स्मार्ट क्लास प्रणाली स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

‘विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अ. मनि द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत समग्र शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक विस्तारित एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से लागू की जा रही है और स्मार्ट कक्षाओं सहित विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज तक, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1,30,536 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में अनुमोदित और कार्यशील स्मार्ट कक्षाओं के वास्तविक और वित्तीय ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	अनुमोदित स्मार्ट क्लासरूम की संख्या	कार्यशील स्मार्ट क्लासरूमों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
2021-22	865	1	2076.00	0
2022-23	0	860	0	2076.00
2023-24	0	4	0	0
2024-25	6284	0	14995.50	0

स्रोत: प्रबंध

(ड) और (च): समग्र शिक्षा के स्मार्ट क्लासरूम घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें इंटरएक्टिव डिजिटल बोर्ड/डिस्प्ले यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस), एलसीडी/एलईडी/प्लाज्मा स्क्रीन, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप/टैबलेट/डेस्कटॉप आदि शामिल हैं।

वित्तीय प्रावधान:

स्मार्ट क्लासरूम: स्मार्ट क्लासरूम (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट क्लासरूम) के लिए अनावर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये हैं और आवर्ती अनुदान 38000/- रुपये (ई-कंटेंट और डिजिटल संसाधन, बिजली के लिए शुल्क सहित) है।

शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। केंद्र सरकार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्कूल शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल पहल घटक के लिए धन राशि प्रदान करती है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र हैं।
